10/4/19 अभिभाषकगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है । पत्रावली दिनांक 26.4.19 को पेश हो ।

26/4/19 अभिभाषकगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है । पत्रावली दिनांक 19.6.19 को पेश हो ।

19/6/19 अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 16.8.19 को वास्ते रिपोर्ट तहसील पेश हो।

16.8.19

29.8.19

रिपोर्ट T.DR

29-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित T.D.R रिपोर्ट अपेक्षित पत्रावली वास्ते T.D.R रिपोर्ट दिनांक 3-10-19 को पेश हो।

03.10.2019 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है इस कारण श्रीमान् न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत रास्ते के सन्दर्भ में अब कोई विवाद नहीं है, इस कारण तहसीलदार हनुमानगढ़ से पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट को ही अवालोकन किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे जो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नहीं है।

उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017 को चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 49/241 (71) किला नम्बर 5, 6 में दक्षिणी तरफ दो दो गठ्ठा रास्ता जो मौके पर चालू है, को स्वीकार किया जाकर रास्ते के बदले भूमि या डी.एल.सी. दर की दुगपी राशी जमा होनें पर रास्ते का राजस्व अभिलेख में अमल दराम्द करनें के आदेश पारित किये गये थे

उक्त आदेश से अप्रार्थीगण व्यथित होकर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनें पर श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 13.09.2018 के द्वारा इस न्यायलय के आदेश को निरस्त करते हुए आर. टी.ए. 1955 के नियम 69 के प्रावधानानुसार मौका निरीक्षण कर प्रभावित पक्षकारान को सुना जाकर निर्णय पारित करनें के आदेश पारित किये गये।

लगातार

Scanned by CamScanner

लगातार .....

माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 13.09.2018 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जो दिनांक 30.01.2019 को विड्रा किया जाकर इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2019 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई जो निगरानी को विड्रा लिया गया है प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार राजीनामा स्वीकृत किया जाता है, तो कोई उजर एतराज नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 49/241(71) किला नम्बर 15 ता 24 में आवागमन के लिये अप्रार्थीगण की भूमि पत्थर नम्बर 49/241 (71) किला नम्बर 5 व 6 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में 2–2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व अप्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के रकबा पत्थर नम्बर 49/241(71) किला नम्बर 17, 18, 19, 20 में से 1–1 बिस्वा कुल 4 बिस्वा कम करते हुए दर्ज किया जावे।

अतः उभयपक्ष की सहमति के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रार्थी को चक 15 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 49/241(71) किला नम्बर 15 ता 24 में आवागमन के लिये अप्रार्थीगण की भूमि पत्थर नम्बर 49/241 (71) किला नम्बर 5 व 6 की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण में 2–2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के मुआजा स्वरूप प्रार्थी के रकबा पत्थर नम्बर 49/241(71) किला नम्बर 17, 18, 19, 20 में से 1–1 बिस्वा कुल 4 बिस्वा कम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता व रास्ता के बदले मुआवजा की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.28 12:33:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: